दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तारीखः 3 सितंबर, 2009

आप.अ. 467/2001

ओम प्रकाश .....अपीलकर्ता

द्वारा: सुश्री चारु वर्मा, न्यायमित्र।

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन.डुडेजा, अति.लो.अभि.

कोरमः
माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग
माननीय सुश्री न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
2. रिपोर्टर को भेजा जाना है या नहीं? हां
3. क्या निर्णय को डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हां

प्रदीप नंदराजोग, न्या. (मौखिक)

1. अपीलकर्ता को एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, सुश्री बबीता कुमारी अभि.सा.-1, की गवाही पर दोषी ठहराया गया है, जिसने निम्नानुसार बयान दिया:-

> "मुझे घटना की सही तारीख याद नहीं है। लगभग छह/पाँच महीने पहले, मैं अपने घर पर मौजूद थी और मेरी माँ दुकान पर गई थीं। मेरी माँ मृतक मंजू देवी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती

थीं। लगभग रात 8:30 बजे, मैं अपने घर पर मौजूद थी, मैंने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को अपनी दुकान के पास हाथ में सरिया लिए देखा। मेरी माँ ने न्यायलय में उपस्थित अभियुक्त से कहा कि वह या तो पैसे वापस कर दे या उसके बदले में उन्हें रेडियो दे क्योंकि उसने माँ से किराने का सामान उधार लिया था, लेकिन अभियुक्त ने मना कर दिया। मेरी माँ ने अभियुक्त के हाथ से रेडियो छीन लिया। अभियुक्त उन्हें धमकी देते हुए दुकान से चला गया। आधे घंटे के बाद अभियुक्त 5/6 लोगों के साथ आया। उस समय अभियुक्त के हाथ में सरिया भी था। उसने मेरी माँ के कब्जे से रेडियो छीनने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप, मेरी माँ और अभियुक्त के बीच हाथापाई हो गई। अभियुक्त ने मेरी माँ की छाती पर दाहिनी ओर सरिए से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप, वे जमीन पर गिर गईं। अभियुक्त सरिए से प्रहार करके मौके से भाग गया। कुछ समय बाद मेरे पिता आए जो मेरी माँ को अस्पताल ले गए। झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि अभियुक्त ने मेरी माँ से किराने का सामान ले लिया और माँगने पर पैसे नहीं दिए। मैंने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर "ए" बिंदु पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अगर मुझे दिखाया जाए तो मैं रेडियो को पहचान सकती हूँ। मैं पहचान करती हूँ कि रेडियो प्र.पी-1 वही है जिसे मेरी माँ ने छीन लिया था।"

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहुत निष्पक्षता से यह स्वीकार किया कि सुश्री बबीता, जिसकी आयु गवाही देने के समय 14 वर्ष और उसकी माँ को दिनांक 8.10.1996 को चाकू मारे जाने के समय 13 वर्ष थी, ने प्रतिपरीक्षण का सामना किया है। हम केवल यह उल्लेख करते हैं कि प्राथमिकी बबीता के बयान प्र.अभि.सा.-1/ए के आधार पर दर्ज की गई है। पृष्ठांकन प्र.अभि.सा.-13/ए से पता चलता है कि रुक्का 9.10.1996 को रात 2 बजे भेजा गया था यानी 8 और 9 अक्टूबर, 1996 की रात को। जिस घटना में बबीता की माँ को चाकू मारा गया था, वह 8.10.1996

को रात 9 बजे हुई थी। घटना के बाद बबीता ने जाँच अधिकारी को तथ्यों का खुलासा इतनी जल्दी कर दिया कि बबीता को सिखाए जाने की संभावना को खारिज किया जाता है। हम आगे ध्यान देते हैं कि बबीता की गवाही उसके कथन प्र.अभि.सा.-1/ए के अनुरूप है।

3. वह एकमात्र सवाल जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है यह है कि क्या अपराध हत्या का है जो भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय है या अपराध सीधे तौर पर मानव वध का है जो भा.दं.सं. की धारा 304 के तहत दंडनीय है । यदि हाँ, तो भा.दं.सं. की धारा 304 का भाग-I लागू होता है या भाग-II लागू होता है।

4. मौके का नक्शा प्र.अभि.सा.-5/ए में कोई स्ट्रीट लाइट प्रदर्शित नहीं है। मौके का नक्शा एक तथ्य को भी दर्शाता है, जिसे अभि.सा.-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है, कि मंजू देवी की किराने की दुकान के सामने की सड़क 15 फीट चौड़ी है। मौके का नक्शा उस स्थान को दर्शाता है जहाँ से बबीता ने अपनी माँ पर हमला होते हुए देखा था, साथ ही वह स्थान भी जहाँ हमला हुआ था। दोनों के बीच की दूरी लगभग 10 फीट है। बबीता ने स्वीकार किया है कि उसके घर, जिसमें किराने की दुकान भी थी, में कोई बिजली कनेक्शन नहीं था।

5. हालांकि बबीता ने कहा है कि अभियुक्त ने उसकी माँ की छाती पर एक सरिए (लोहे की छड़) से प्रहार किया, लेकिन शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.अभि.सा.-6/ए और शव परीक्षण करने वाले डॉ. सी.बी. डबास अभि.सा.-6 की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपराध का हथियार एक तेज धार वाली वस्तु थी। मृतका

की छाती पर एकमात्र चोट से पता चलता है कि 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाली एक तेज धार वाली वस्तु ने मृतका की छाती को दाहिनी ओर सातवें इंटरकोस्टल स्थान पर छेद दिया है जो डायाफ्राम से होते हुए और मामूली कोण पर ऊर्ध्वाधर रूप से, मृतक के शरीर में घुसकर यकृत के खंड की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचाती है। दुर्भाग्य से, गुर्दे की धमनी (आर.टी.) कट गई। अंधेरा होने के कारण, बबीता ने हथियार को गलती से सरिया (लोहे की छड़) समझ लिया। लेकिन, यह एक पहलू को उजागर करता है कि अंधेरे के कारण बबीता अपराध के हथियार को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी। इसलिए यह भी माना जा सकता है कि बबीता स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी कि शरीर के किस हिस्से को निशाना बनाया गया था।

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतका को लगी चोट घातक साबित हुई है, लेकिन कानून के अनुसार यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि मृतिका का इरादा शरीर के उस हिस्से पर चोट पहुंचाना था जहां वास्तव में चोट लगी थी और यह नहीं कि शरीर के जिस हिस्से पर चोट लगी थी, उस पर दुर्घटनावश वार हुआ था।

7. जहाँ भी एक ही चोट होती है और घटना के समय अंधेरा था, प्रकृति के सामान्य क्रम में चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त होने पर, भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-I के तहत दंडनीय अपराध को लागू करने वाली मानी गई है। इसका कारण स्पष्ट है। जहाँ कोई घटना अंधेरे में घटित होती है वहाँ एक साक्षी के लिए स्पष्टता के साथ देखना मुश्किल हो जाता है। इस बात की भी संभावना है कि किसी अन्य भाग को लक्ष्य करने के आशय से किया गया प्रहार, दुर्घटनावश शरीर के अन्य हिस्से पर लग जाए। *थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य* (2005) 9 एस.सी.सी.

650 और *सुंदर लाल बनाम राजस्थान राज्य* 2007 (6) स्केल 649 के रूप में प्रकाशित निर्णय में इन कारकों का न्यायालय पर प्रभाव पड़ा।

8. बबीता की गवाही से यह स्पष्ट है कि मुन्नी देवी ने अपीलकर्ता के हाथ से रेडियो छीन लिया और उसे जमानत के रूप में अपने पास रख लिया जब तक कि वह उसे खरीदे गए किराने के सामान के लिए बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देता। अपीलकर्ता दुकान से चला गया और कुछ लोगों के साथ लौटा और उसकी माँ के कब्जे से रेडियो छीनने की कोशिश की। हाथापाई होने लगी। अपीलकर्ता ने उसकी माँ पर प्रहार किया। जाहिर है कि घटना एक ऐसा झगड़ा होने पर हुई है, जिसमें अचानक झगड़ा होने के साथ जुड़ी सभी अन्य बातें शामिल हैं। यहां तक कि झगड़े के दूसरे चरण में भी, अपने रेडियो को पुनः प्राप्त करने के लिए घटनास्थल पर लौटने पर, अपीलकर्ता ने तुरंत मृतका को चोट नहीं पहुंचाई। उसने अपने रेडियो को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और जब उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तो उसने मृतका पर प्रहार किया।

9. प्रहार पेट की ओर किया गया है। यह हृदय या फेफड़ों की ओर लक्षित नहीं किया गया है। लेकिन दुर्घटनावश गुर्दे की धमनी (आर.टी.) कट गई, नहीं तो मृतका बच जाती।

10. इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ-साथ हमारे द्वारा उल्लिखित परिस्थितियाँ, जिन्हें दुर्भाग्य से विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया, हत्या का अपराध नहीं बनाते हैं। हम उल्लेख करते हैं कि अपराध का हथियार बरामद नहीं किया गया है।

11. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का मामला बनता है, जो भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-1 के तहत दंडनीय है।

12. अपील को आंशिक रूप से अनुमति प्रदान की जाती है। भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-1 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को उपांतरित किया गया है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-1 के तहत दंडनीय अपराध कारित होना अभिनिर्धारित किया जाता है, जिसके लिए अपीलकर्ता को पहले से भुगती हुई अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है। हम पातें हैं कि 10.1.2005 दिनांकित आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता को विद्वान विचारण न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए 5,000/- रुपये की राशि के निजी बंधपत्र के साथ समान राशि का एक जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था, तथा उस तारीख तक अपीलकर्ता 8 साल और 1 महीने की वास्तविक सजा भुगत चुका था। इस न्यायालय को 9.10.2001 पर भेजी गई अंतिम उपलब्ध नामावली से पता चलता है कि अपीलकर्ता के पास 4.10.2001 तक 7 महीने और 9 दिनों का उपार्जित परिहार था। इस धारणा पर कि अक्टूबर 2001 और जनवरी 2005 के बीच अपीलकर्ता का आचरण अच्छा बना रहा, अपीलकर्ता कम से कम 4 महीने का अतिरिक्त परिहार उपार्जित करता। इस प्रकार, भले ही अपीलकर्ता को दस साल के लिए कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है, परिहार का लाभ दिए जाने पर, अपीलकर्ता को केवल लगभग सात महीने के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा को पहले ही भुगती जा चुकी अवधि तक सीमित करके

अधिरोपित करने का हमारा यही कारण है। इसके अतिरिक्त हम उल्लेख करते हैं कि अपीलकर्ता का किसी अन्य अपराध में शामिल होने का कोई इतिहास नहीं है।

13. अपीलकर्ता पर अधिरोपित सजा को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत पत्र और प्रतिभूति बंधपत्र को उन्मोचित किया जाता है।

(प्रदीप नंदराजोग)
न्यायाधीश

(इंदरमीत कौर)
न्यायाधीश

3 सितंबर, 2009
धर्मेन्द्र

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*